

संख्या तीनूद ३७४२/१५ ७-२०-१६(१८)/२००५

प्रेषक,

बाबू राम,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेथा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
शिक्षा केन्द्र-२ समुदायकेन्द्र,  
प्रीति विहार, नईदिल्ली ।

शिक्षा (७) अनुभाग

कृ. कृ. नैन  
A. इन्डियर एन्ड  
पृ.  
कृ. १२  
३१२

लगानक: दिनांक: २० जनवरी, 2006

विषय :- होली पब्लिक जूनियर कालेज सेक्टर-४ सिकन्दरा योजना, आगरा को सी० बी० ए० ई० ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी० बी० ए० सी० ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जांते/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद्/वेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मोग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एज्यूकेशन नईदिल्ली/कॉर्सिल आफ दि इण्डियन स्कूल सर्टाफिकेट इकायामिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमत्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
  - (7) राज्य सरकार द्वारा सभ्य-सभ्य पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
  - (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
  - (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्जन नहीं किया जायेगा ।
- 2-- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी सभ्य यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अवश्य पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,  
 /  
 (बाबू राम)  
 अनु सचिव ।

#### प्र०सं०- सीएम 3743(1)/15-7-2005 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- ग्रंथालय, होली पब्लिक जूनियर कालेज सेक्टर-४ सिकन्दरा योजना, आगरा ।
- 6- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,  
 /  
 (बाबू राम)  
 अनु सचिव ।